

receipt
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT
SR OFFICE BANSWARA
BANSWARA
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

Fee Sr. No. : 2010002343 Dated : 29/04/2010
Presenter Name : TARUN TRIVEDI Face Value : 891000
Presenter Address : CHINCH BAGIODRA, BANSWAR A
Document Type : Lease Deed (more than equal to 20 Years)
Claimant Name : RAMKRISHNA PARAM HANS EDU. SOCIETY@ SH TARUN TRIVEDI , CHINCH
BAGIODRA, BANSWAR A
Document S.No. : 2010002548 Stamp Value : 25000

Ordinary Registration Fee	: 8910	Commission Fee	: 0
Copy/Scanning/Inspection Fee	: 200	Custody Fee	: 0
Fee for Memorandum u/s 64-67	: 0	Miscellaneous Fee	: 0
Certified Copying Fee u/s 57	: 0	Stamp Duty Cash	: 19550
Translation Fee us/s 62	: 0		
Late Fee u/s 25-34	: 0		

TOTAL : 28660

Amount Rs. Twenty Eight Thousand Six Hundred Sixty only

Cashier

Sub Registrar, BANSWARA



राजस्थान RAJASTHAN



पट्टा विलेख

यह पट्टा आज दिनांक 22.04.2010 को राजस्थान राज्य के राज्यपाल जरिये श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय बांसवाड़ा जिसे आगे "पट्टाकर्ता" कहेंगे और जिस अभिव्यक्ति में, जब तक विषय या संदर्भ में अपवर्जित न हो, पद में उसका उत्तराधिकारी अनुज्ञा अभिहस्तांकिति (Permitted Assignees) श्री रामकृष्ण परमहंस एज्युकेशन सोसायटी छींच जिला बांसवाड़ा के अध्यक्ष श्री तरुण त्रिवेदी पिता श्री रमेशचन्द्र त्रिवेदी जाति ब्राह्मण उम्र 31 वर्ष निवासी छींच तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज.) जिसे आगे "पट्टेदार" कहेंगे और जिस अभिव्यक्ति में जब तक की विषय या संदर्भ से अपवर्जित न हो पद में उसका उत्तराधिकारी अभिहस्तांकिती सम्मिलित है, के भध्य किया गया है।

चूंकि पट्टाकर्ता नीचे बताई गई शर्तों पर, पट्टेदार के 99 वर्ष की अवधि के लिए उक्त भूमि का पट्टा प्रदान करने के लिए सहमत हुआ है।

...2

(Signature)

**उप-जयक
बांसवाड़ा (राज.)**



राजस्थान RAJASTHAN

A 382220

20 APR 2010

- 2 -

बांसवाड़ा (राजस्थान) अब, यह विलेख निम्नलिखित साक्ष्य करता है -

1. यह कि, उपरोक्त करार के अनुसरण में, पट्टाकर्ता एतद्वारा कथित भूमि दिनांक 31.03.2010 से 99 वर्ष की अवधि के लिए पट्टेदार को पट्टे पर प्रदान करता है।
2. यह कि, इसके पक्षकार आपस में निम्नानुसार सहमत है -
 1. यह कि, आवंटन, शासन उप सचिव (उपनिवेशन) विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक प. 19 (24) उप/2009/ दिनांक 21.01.2010 से श्री रामकृष्ण परमहंस एज्युकेशन सोसायटी जिला बांसवाड़ा को शिक्षण संस्था की स्थापना हेतु ग्राम ठीकरीया की आराजी सर्वे नं. 1178/1678 रकबा 4 बीघा श्री सरकार बिलानाम राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 3 (9) उप/68 दिनांक 06.05.1971 के अनुसार भूमि आवंटन भूमि की कीमत (डी.एल.सी. दर का 75 प्रतिशत) अर्थात् 4 बीघा भूमि की कीमत 11,88,000/- रूपया का 75 प्रतिशत रूपया 8,91,000/- अक्षरे आठ लाख ईक्याणवे हजार रूपया की अदायगी पर श्रीमान् कार्यालय जिला कलेक्टर बांसवाड़ा के आदेश क्रमांक एफ 2 (28) राजस्व/2007/787-93 दिनांक 31 मार्च 2010 को स्वीकृति दी गयी है।

...3

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
उप-मंडलिक
बांसवाड़ा (राज.)



राजस्थान RAJASTHAN

A 382221

- 3 -

2. यह कि, पट्टेदारी की अवधि 99 वर्ष के लिए होगी, 99 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् पट्टाकर्ता स्थिति का पुनरावलोकन करेगा और यदि भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए हो रहा है जिसके लिए आवंटित हुई थी, और उसी प्रयोजन के लिए यदि आवश्यक हुआ तो अवधि का आगे 99 वर्षों की अवधि के लिए नवीनीकरण किया जा सकेगा।
3. यह कि, भूमि का सर्वथा उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए उसका आवंटन किया हुआ है और आवंटन से 6 माह के भीतर, ऐसे भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा, आवंटित कब्जा सौंपे जाने के दो वर्ष के भीतर-भीतर भवन का सन्निर्माण पूर्ण करने के लिए और इसे उस प्रयोजन के लिए उपयोग में लाने के लिए उत्तरदायी होगा। जिसके लिए उस भूमि को आवंटित किया गया है परंतु शर्त यह है कि जो भूमि किसी स्कूल/कॉलेज बनाने के लिए आवंटित हुई है उसका उपयोग उक्त स्कूल या कॉलेज संबंधित कार्य हेतु ही किया जा सकेगा।
4. यह कि, भूमि सरकार में निहित होगी।

...4

(Signature)

(Signature)
उप-न्यायिक
पंजीवाका (राज.)



राजस्थान RAJASTHAN

20 APR 2010

बाँसवाडा (राजस्थान)

A 382222

- 4 -

5. उक्त भूमि पर निर्मित भवन अथवा प्रारम्भ की गई संस्था का उपयोग सार्वजनिक लाभ के लिए होगा और दुराशय से उसका दुर्भावनापूर्ण हस्तान्तरण, आवंटीती के परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों को नहीं किया जायेगा।
6. यह कि, उपरोक्त शर्तों में से किसी का उल्लंघन होने की दशा में, भूमि, उस पर बने हुए निर्माण कार्य सहित, बिना किसी क्षतिपूर्ति के दावे वारिस सरकार में नहित हो जायेगी।
7. आवंटीत भूमि और उस पर सन्निर्मित भवन का किसी भी रूप से विक्रय, उसे पट्टे पर किया जाना या अन्तरण आवंटीत प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा।
8. आवंटीत की गई भूमि के संबंध में यदि राज्य सरकार या ऑडिट जांच दल द्वारा आवंटीत की गई भूमि की कीमत राशि व लीज राशि आदि का निष्पत्ति कर वसूली योग्य माना जाता है तो आवंटी को सम्पूर्ण देय राशि राज कोष में जमा करानी होगी।

...5

(Signature)

(Signature)
उप-निर्देशक
बाँसवाडा (राज.)



राजस्थान RAJASTHAN

A 382223

20 APR 2010

- 5 -

इसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने इस विलेख पर स्टाम्प संख्या 2295 से 2299 कुल कीता 5 तादादी रूपया 25,000/- अक्षरे पच्चीस हजार रूपया पर दिनांक 22.04.2010 को हस्ताक्षर किये है।

हस्ताक्षर पट्टेदार

जिला कलक्टर
सरकार की ओर से हस्ताक्षर

साक्षी -

1 श्री लाल बाबु S/O श्री रामसिंहासनी
नि०- हिकरिया (बखियाडा)

2

जिपेश पुरोहित
S/O कृष्णकान्त पुरोहित
21/09. माहेन कावोनी
बोमबाड़ा (राज.)

उप-मंजियर
राजबाड़ा (राज.)

कार्यालय जिला कलक्टर बांसवाड़ा (राज्)

क्रमांक :- एफ 2 (28) राजस्व/2007/787-93

दिनांक :- 31, मार्च, 2010

आदेश

शासन उप सचिव, (उपनिवेशन) विभाग राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प. 19 (24) उप/2009/ दिनांक 21.01.2010 से श्री रामकृष्ण परमहंस एज्युकेशन सोसायटी छींच, जिला बांसवाड़ा को शिक्षण संस्था की स्थापना हेतु 4 बीघा भूमि आवंटन की स्वीकृति प्राप्त हुई।

अतः ग्राम टीकरिया की आराजी नंबर 1178/1678 रकबा 4 बीघा श्री सरकार बिलानाम राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 3 (9) उप/68 दिनांक 06.05.1971 के अनुसार डी. एल. सी. दरों के अनुसार कीमत का 75 प्रतिशत कीमत पर निम्न शर्तों पर आवंटन की जाती है।

1. आवंटन 99 वर्ष की कालावधि के लिये पट्टाधति आधार पर किया जाता है। पट्टा विलेख प्रारूप में होगा।
2. भूमि की कीमत (डी.एल.सी. दरका 75 प्रतिशत) रूपया 891000/- श्री रामकृष्ण परमहंस एज्युकेशन सोसायटी छींच, जिला बांसवाड़ा द्वारा चालान संख्या 1876 दिनांक 29.03.2010 से जमा कोष करा दिया गया है।
3. भूमि का उपयोग सर्वथा उस प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा जिसके लिए आवंटित किया गया है और उस भवन का सन्निर्माण जिसके लिये भूमि का आवंटन किया गया है, कब्जा सौपने के 6 माह के भीतर प्रारम्भ कर दिया जायेगा। आवंटिती कब्जा सौपे जाने के 2 वर्ष भीतर-भीतर भवन का सन्निर्माण पूर्ण करने के लिए और इसे उस प्रयोजन के लिये उपयोग में लाने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसके लिए उस भूमि को आवंटित किया गया है।
4. भूमि राज्य सरकार में निहित होगी।
5. आवंटित भूमि और उस पर सन्निर्मित भवन का किसी भी रूप से विक्रय, उसे पट्टे पर किया जाना या अन्तरण आवंटन प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा।
6. आवंटिती उपर वर्णित शर्तों में से प्रत्येक का पालन करने के लिए वचनबद्ध होगा।
7. आवंटित की गई भूमि के संबंध में यदि राज्य सरकार या ऑडिट जांच दल द्वारा आवंटित की गई भूमि की कीमत राशि व लीज राशि आदि का निर्धारण कर वसूली योग्य माना जाता है तो आवंटिती को सम्पूर्ण देय राशि राजकोष में जमा करानी होगी।

[Signature]

जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा



प्रतिलिपि :-

1. उप शासन सचिव, राजस्व (उपनिवेशन) विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा।
3. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखाकार।
4. तहसीलदार, बांसवाड़ा।
5. पटवारी हल्का टीकरिया द्वारा तहसीलदार, बांसवाड़ा।
6. श्री रामकृष्ण परमहंस एज्युकेशन सोसायटी छींच, जिला बांसवाड़ा
7. रक्षित पत्रावली।

[Signature]

जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा

**PLAN FOR ARAVALI P.G. MAHAVIDHYALAY A RUN BY SHREE RAM KRISHNA PARAMHANS
EDUCATION SOCIETY AT TRIPURA COLONY, VILLAGE THIKARIYA, TEH. & DISTT. BANSWARA (Raj.)**



PLAN WISE ROOM CHART

S.No.	PARTICULAR	AREA (Sq. Ft.)	NO.	AREA (Sq. Mts.)
1	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
2	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
3	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
4	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
5	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
6	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
7	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
8	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
9	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
10	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
11	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
12	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
13	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
14	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
15	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
16	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
17	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
18	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
19	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
20	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
21	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
22	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
23	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
24	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
25	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
26	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
27	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
28	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
29	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
30	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
31	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
32	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
33	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
34	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
35	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
36	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
37	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
38	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
39	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
40	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
41	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
42	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
43	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
44	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
45	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
46	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
47	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
48	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
49	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
50	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
51	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
52	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
53	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
54	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
55	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
56	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
57	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
58	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
59	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
60	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
61	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
62	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
63	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
64	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
65	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
66	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
67	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
68	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
69	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
70	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
71	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
72	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
73	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
74	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
75	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
76	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
77	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
78	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
79	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
80	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
81	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
82	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
83	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
84	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
85	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
86	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
87	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
88	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
89	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
90	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
91	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
92	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
93	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
94	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
95	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
96	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
97	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
98	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
99	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75
100	CLASS ROOM	20' x 30'	600	55.75

TOTAL LAND AREA = 69784 Sq. Ft. (6475.59 Sqm)
 TOTAL BUILTUP AREA = 48714 Sq. Ft. (4518.99 Sqm)

A RUN BY SHREE RAM KRISHNA PARAMHANS EDUCATION SOCIETY
 A COMPLETE BUILDING PLAN ARAVALI P.G. MAHAVIDHYALAY

KHASRA NO. :- 1778/1078 (4 BHCILA)
 10784 Sq. Ft. (6475.59 Sqm) COMPLETE EDUCATION CONVERT AREA

ADDRESS :- ARAVALI P.G. MAHAVIDHYALAY
 AT TRIPURA COLONY, VILLAGE THIKARIYA,
 TEH. & DISTT. BANSWARA (Raj.) PIN. 327081

कामिष् अमियन्ता
 बन्वार्त समिति बन्वार्त
 जिला बन्वार्त (राज.)

मान संवक पट्टे संवि
 वाम पंचायत ठिकरिया
 बन्वार्त जिला बन्वार्त (राज.)

(नारिण डीकार)
 सरपंच
 वाम पंचायत ठिकरिया
 पं.स.ब. बन्वार्त (राज.)

